सी एस पी जी सी एल
CSPGCL

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का उपक्रम)

क्र./03–14/T-04/778 रायपुर, दिनांकः 24.07.2021

निविदा सूचना

छ.रा.विद्युत उत्पा. कं. मर्या. प्रतिष्ठित फर्मो से कार उपलब्ध कराने बाबत् निविदा आमंत्रित करता है।

निविदा क्रमांक	विवरण	संख्या	कार्य की अवधि (परिवर्तनीय)	निविदा पत्र का मूल्य GST सहित	निविदा जमा करने का दिनांक एवं समय	अमानत राशि
क्र./03–14/T-04 /778	अति. मुख्य अभियंता कार्या. कार्यपालक निदेशक (सीपी एण्ड बीडी) छ.रा.वि.उ.कं.मर्या. , रायपुर के लिए किराया भाड़ा पर कार (वाहन चालक सहित) उपलब्ध कराने बाबत् (निविदा प्रपत्र के अनुसार)	01	12 माह	224/–	16.08.2021 16.00 बजे तक	5000/– (वापसी योग्य)

निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु आवश्यक अर्हता

01. निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु वाहन की रजिस्ट्री पुस्तिका, वैध बीमा, व्यवसायिक (टेक्सी कोटा) पंजीयन पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है अन्यथा आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि निविदाकर्ता नया वाहन लगाना चाहता है तो उसे आवेदन पत्र के साथ रू. 50/– मात्र के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र, प्रस्तुत करना होगा जिसमें कि निविदाकर्ता को वचन देना होगा कि निविदाकर्ता को आदेश प्राप्त होने की दशा में वाहन क्रय कर तुरंत लगायेगा।
02. निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु रू. 224/–(दो सौ चौबीस रूपये मात्र) मांगपत्र के द्वारा सहायक प्रबंधक (के.ले.ई.) छ.रा.वि.उत्पा.कं.मर्या., रायपुर/A.M. (CAU), CSPGCL,RAIPUR के नाम से देय हो, इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। निविदा प्रपत्र का मूल्य वापसी योग्य नहीं है। अगर निविदा प्रपत्र को डाक द्वारा मंगाया जाता है तो रू. 100/– मात्र डाक व्यय के लिये अतिरिक्त देय होगा।
03. निविदा प्रपत्र, दिनांक 16.08.2021 को समय 15.00 बजे तक विक्रय किया जायेगा।
04. संपूर्ण रूप से भरा हूआ निविदा प्रपत्र जारी निर्देशानुसार इस कार्यालय में दिनांक 16.08.2021 समय 16.00 बजे तक आवश्यक रूप से जमा करना अनिवार्य है अन्यथा उपरोक्त समय पश्चात् कोई भी निविदा प्रपत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। सभी निविदा प्रपत्र को दिनांक 16.08.2021 के सांय 16:30 बजे निविदाकर्ताओं के समक्ष खोला जायेगा।
05. निविदा खोलने के दिनांक को अगर अवकाश घोषित किया जाता है तो निविदा आगामी कार्य दिवस पर खोली जायेगी।
06. निविदाकर्ता को निविदा प्रपत्र क्रय करना आवश्यक है, अन्यथा उनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
07. डाक में विलंब के लिए कम्पनी उत्तरदायी नहीं होगा।
08. ई–मेल/फेक्स/दूरसंचार के माध्यम से भेजी गई निविदायें स्वीकार नहीं की जावेगी।
09. कम्पनी को किसी भी निविदा या सभी निविदाओं को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।
10. वेतन अधिनियम 1948 के प्रावधानो के तहत निर्धारित न्यूनतम वेतन एवं अन्य आवश्यक भुगतान जो कि EPF, ESIC एवं Bonus इत्यादि वाहन चालक का करना अनिवार्य होगा।

अधीक्षण अभियंता (सीपी एण्ड बीडी)
छ.रा.वि.उत्पा.कं.मंर्या., रायपुर